फर्द अहकाम

अनिता पुत्री रामबिलास **बनाम** रामकल्याण वगैरह

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	18/05/17	पक्षकारान वकील उप० हि० सा० कैम्प कोर्ट के फरक्त है। पत्रावली प्रवीनुसार दिनांक 31/5/17 को कैम्प कोर्ट परवण पर पेश हो।	U.T. (2)
	31/05/17 नि: रामकल्याण	पत्रावली कैम्प कोर्ट परवण पर पेश हुई। पक्षकारान वकील उप०/अप्रार्थी (1) स्वयं उप०/अप्रार्थी (2) की तरफ से RA रवि जैन एड० ने U.T. ली। प्रार्थना धारा 212 RTA की निर्धारित समय सीमा के मद्देनजर प्रार्थना T.I. पर उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थिया का वादग्रस्त भूमि मे अप्रार्थी सं. (1) के नाम दर्ज हिस्से मे से नाबालग शेयर के आधार पर हक प्रथम दृष्टया सिद्ध है। अत: प्रार्थिया का प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थना के मद नं. (2) मे वर्णित वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थिया के नाबालग शेयर तक अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म की जाती है। शेष प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। मूल वाद के शामिल रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)	31/5/17